सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/चिकित्सा/2020/ 22835 दिनांक 04 मई, 2020 05

:: आदेश ::

कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण तथा जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत **भीलवाड़ा जिले की सीमाओ एवं विभिन्न स्थानो पर चेक पोस्ट स्थापित** होकर आवागमित व्यक्तियो के **सक्षम अनुमति उपरान्त परिपूर्ण सूचना एवं स्क्रीनिंग/स्वास्थ्य परीक्षण** के जिले की **सीमा में प्रवेश की अनुमति दिये जाने के निर्देश प्रदत्त** हैं।

यह संज्ञान में लाया गया हैं कि **पड़ोसी जिलो की सीमाओ से कतिपय व्यक्तियो द्वारा दो–पहिया वाहनो से पड़ोसी जिलो से भीलवाड़ा जिले की सीमा में कच्चे/पक्के रास्तो, ग्रामीण रास्तो से अनाधिकृत रूप से प्रवेश** कर रहे हैं। कोराना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टि से यह उचित नहीं हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि में पड़ोसी जिलो से लगती हुई **भीलवाड़ा जिले की सीमा में किसी भी रास्ते/मार्ग से अनाधिकत रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश नहीं किया जावे, इसे संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे, साथ ही इस संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण किया** जावे।

आदेश की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियो का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
2. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
3. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
5. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
6. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा

7. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
8. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
10. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
12. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा / शाहपुरा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
16. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
17. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
18. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
19. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा